

राजस्थान आवासन मण्डल

स्ववित्त पोषित योजना वर्ष 2014

मण्डल की कुन्हाड़ी आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग (ब)

के बहुमंजिला (स्टिल्ट + 6) आवासों हेतु

आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण हेतु

कार्यक्रम

1. आवेदन पत्र की बिक्री की तिथि - 15.10.2014 से 14.11.2014
 2. आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 14.11.2014
 3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान* www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाएगी
 4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक
 5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान*
 6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान*
- * स्थान : कार्यालय उप आवासन आयुक्त, कोटा वृत्त, कोटा

सम्पर्क सूत्र		
उप आवासन आयुक्त कोटा वृत्त सी.ए.डी. सर्किल, कोटा फोन. नं. 0744-2500685	आवासीय अभियन्ता सी.ए.डी. सर्किल, कोटा फोन. नं. 0744-2500911	मुख्य सम्पदा प्रबंधक राजस्थान आवासन मण्डल जनपथ, ज्योति नगर जयपुर-302015 फोन नं. 0141-2740667

विशेष -

1. प्रस्तावित योजना के आवेदन पत्र, कार्यालय उप आवासन आयुक्त, कोटा वृत्त कोटा के अतिरिक्त खण्ड कार्यालय कोटा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, ~~इंस्टीट्यूट बैंक, रोडिंग रोड, मंगल नेशनल बैंक, बल्लारी रोड, सी.डी. बिल्डिंग~~, कोटा से राशि रु 200/- का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं एवं पूर्ण कर सम्बन्धित बैंक में निर्धारित तिथि तक जमा करवाये जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.com से download कर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि आवेदन पत्र मण्डल की website www.rhbonline.com से download करके प्रस्तुत किया जाता है तो पंजीकरण राशि के साथ फार्म की कीमत रु 200/- शामिल करते हुए कुल राशि की DD/Pay order (राजस्थान आवासन मण्डल के नाम देय) में शामिल कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होगी।

फार्म बिक्री व जमा के उपलब्ध है।
AXIS BANK LTD.
तलाठी, होटल उदय रेजेन्सी टी. टी. होस्पिटल
का पार्क, जयपुर, कोटा- 324 005

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु, यह सुनिश्चित कर ले कि -

1. आप जिस आय वर्ग में आते हैं, उसके अनुसार पंजीकरण की पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा के पक्ष में किसी भी बैंक से बनवाकर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, एसोड्रम सर्किल, इंडुसलेड बैंक, शोपिंग सेन्टर, पंजाब नेशनल बैंक, दादाबाडी एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक, कोटा में मय आवेदन पत्र के साथ जमा करा दी गई है।
2. आय का शपथ पत्र / प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर दिया है।
3. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं एवं सत्यापित करा दिये गये हैं।
4. आवेदन पत्र पर लगाये गये फोटो राजपत्रित अधिकारी / नोटेरी पब्लिक के द्वारा सत्यापित करा लिये गये हैं।
5. वांछित आवश्यक प्रमाण/शपथ पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।
6. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई, भर दी गयी है।

राजस्थान आवासन मण्डल

“स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2014”

सेक्टर-3, कुन्हाडी, (शहर) लोटा में
मध्यम आय वर्ग (ब) के बहुमंजिला (स्टिल्ट+6) आवासों हेतु

मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के लिये पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में राज्य में मकानों की कमी पूर्ति हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे मकान बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों।

“स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2014 का विवरण”

कोटा शहर की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल समय समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं की सफलता के बाद स्टिल्ट + 6 फ्लेट्स आवासीय योजना प्रारम्भ करने जा रहा है। इस आवासीय योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 2370 वर्ग मीटर

योजना में आवश्यकता के अनुरूप समस्त सुविधाएँ उपलब्ध होगी। इस योजना में लगभग 24 आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित है जिसमें से 11 आवासों हेतु पंजीकरण योजना खोली गई है।

आवासों की संख्या व आय वर्ग:-

तालिका-1

क्र.सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	मूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)
1.	मध्यम आय वर्ग (ब)	11	2282.00	99.00	39.80
2.					
3.					
4.					
5.					

नोट:-

- फ्लेटों की अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- उक्त तालिका में फ्लेटों की केवल अनुमानित लागत दर्शाई जा रही है। अतः मण्डल द्वारा आवास आवंटन के समय की अंतिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटनी का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।
- स्टिल्ट/ ओपन कवर्ड पार्किंग का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा। जिन आवंटियों को स्टिल्ट पार्किंग आवंटित होगी उन्हें फ्लैट की लागत की 5 प्रतिशत

राशि अलग से जमा करानी होगी तथा जिन आवंटियों को ओपन कवर्ड पार्किंग आवंटित होगी उन्हें फ्लैट की लागत की 2.5 प्रतिशत राशि अलग से जमा करानी होगी। इस राशि को आवंटन पत्र में उल्लेखित कर दिया जायेगा।

- (iv) सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे लिफ्ट, जीना (स्टेयरकेस), खुले स्थान, कम्पाउण्ड वाल, सड़क, पानी, बिलजी के खर्च, स्ट्रीट लाइट, रेन-वाटर हार्वेस्टिंग, सुरक्षा गार्ड एवं अन्य विविध खर्चों हेतु प्रत्येक आवंटियों से तीन वर्ष में होने वाले अनुमानित खर्चों की एकमुश्त राशि को आवंटन पत्र में उल्लेखित किया जायेगा। उक्त राशि (आवास की लागत के अतिरिक्त आवंटी द्वारा देय होगी) का डी.डी. खण्ड कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त ही फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा। रख-रखाव हेतु गठित सोसायटी का प्रारंभिक रूप से आवासीय अभियन्ता कार्यवाहक अध्यक्ष होगा एवं कम से कम सात कब्जा प्राप्त करने वाले आवंटी कार्यकारिणी के सदस्य आवासीय अभियन्ता द्वारा मीटिंग बुलाकर मनोनीत किए जायेंगे। संबंधित आवासीय अभियन्ता/ कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक सोसायटी का एक बैंक खाता खुलवाया जाएगा। संभावित 6 माह के रख-रखाव के खर्च के बराबर राशि खाते में रखते हुए शेष राशि का एक वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ.डी.आर. बनवाई जाएगी। उप आवासन आयुक्त/ आवासीय अभियन्ता द्वारा अतिरिक्त प्राप्त राशि एवं योजना में प्रदत्त सुविधाओं के रख-रखाव पर किए जाने वाले व्यय का उचित एवं पारदर्शी लेखा-जोखा रखा जाएगा।

आवासीय योजना की विशेषताएँ:-

यह आवासीय योजना कोटा थर्मल पावर स्टेशन के समीप स्थित है। इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थानों से दूरी निम्न है :-

- 1 पुराना बस स्टैण्ड से दूरी
- 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 के समीप

02 कि.मी

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें :-

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, उपनियमों, परिपत्रों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जावेगा।

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास आवंटन हो चुका है, तो वह इस योजना में आवास आवंटन का पात्र नहीं होगा।
2. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही आवास आवंटन की पात्रता रखेगा।

3. आवेदक स्वयं का अथवा आवेदक की पत्नी/पति या आवेदक पर आश्रित संबंधी के पास आवेदित शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक आवास/भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
- 4.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
- (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र "आधार कार्ड" (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।
(यदि प्राप्त कर लिये हो)
5. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है और यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।
7. इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग ऊपर अथवा दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आय वर्ग से ऊपर के आय वर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आय वर्ग से नीचे के आय वर्ग के आवेदक को तृतीय वरीयता दी जाएगी। वरीयता वर्षवार/श्रेणीवार निर्धारित की जाएगी।
8. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा:-

तालिका-2

क.सं	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	विभिन्न श्रेणी (EWS to HIG) के लिए आरक्षण का प्रतिशत	योजना में श्रेणी के आरक्षित आवास
1	जी-1	वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/ निगम के कर्मचारी/ प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	18 प्रतिशत 10 प्रतिशत	
2	जी-2	सामान्य श्रेणी -प्रथम द्वितीय- केवल प्रोफेशनल्स (एडवोकेट,	29 प्रतिशत	

		चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं प्राइवेट डॉक्टर	05 प्रतिशत	
3	जी-3	मण्डल-कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	01 प्रतिशत	
4	जी-4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	
5	जी-5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत	
6	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत	
7	जी-7	स्वतन्त्रता सेनानी	0.5 प्रतिशत	
8	जी-8	भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	03 प्रतिशत	
9	जी-9	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	01 प्रतिशत	
			01 प्रतिशत	
			01 प्रतिशत	
10	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं एशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	01 प्रतिशत	
		योग	100 प्रतिशत	

नोट:-1. उपरोक्तानुसार किसी भी आरक्षित वर्ग में योग्य आवेदक आवास आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष आरक्षित आवास सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किए जाएंगे।

II श्रेणीवार आरक्षण कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/रुपय-पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण सामान्य श्रेणी में मान लिया जायेगा।

9. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सेनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ एशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ रुपय-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
10. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती हैं तो उस आवेदक का पंजीकरण/ आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
11. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक-व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार सम्बन्धित आय वर्ग के आवेदक के सम्मुख अंकित राशि देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्मुगतान/ समयोजन नहीं किया जाएगा:-

मध्यम आय वर्ग-‘अ’	मध्यम आय वर्ग-‘ब’	उच्च आय वर्ग
1000/- रुपये	1500/- रुपये	2000/- रुपये

- 11(बी) इस योजना में तालिका-1 में दर्शाई गई आवास की अनुमानित लागत की लगभग 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि तथा प्रोसेसिंग फीस के 1500/- निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार हैं :-

तालिका-3

क्र. सं.	आयवर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि (रुपये में)	प्रोसेसिंग फीस	पंजीकरण राशि (रुपये में)
1	मध्यम आय वर्ग(अ)	2,50,001/- से 4,50,000/- तक		1000/-	
2	मध्यम आय वर्ग(ब)	4,50,001/- से 6,00,000/- तक	398000/-	1500/-	399500/-
3	उच्च आय वर्ग	6,00,001/- से अधिक		2000/-	

नोट: यदि आवेदन पत्र मण्डल की [website www.rhbonline.rajasthan.gov.in](http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in) से download करके प्रस्तुत किया जाता है तो पंजीकरण राशि के साथ फार्म की कीमत रुपये 300/- पंजीकरण राशि की DD/Pay Order में शामिल कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवानी होगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।

12. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:-

(अ) स्वयं के लिए -

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

13. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार एवं विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर अथवा आवेदक के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जायेगी।
14. मण्डल द्वारा एक शहर में एक ही दिन विभिन्न वृत्तों में एक साथ योजनाएँ आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति सभी योजनाओं में आवेदन करने का पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योजना में आरक्षित होने पर उसे किसी एक योजना में आवास प्राप्त करने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा। आवेदक द्वारा उक्त तथ्य छुपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आएगा तो एक आवास सदैव निरस्त योग्य रहेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा।
15. स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों से निर्माण कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए अनुमानित लागत की निम्नानुसार राशि प्राप्त की जायेगी :-

तालिका-4

क्र. सं.	आवासों का प्रकार	किश्त	आरक्षण पत्र में प्राप्त की जाने वाली राशि	
			समयावधि	राशि
1.	स्वतंत्र आवास	प्रथम किश्त	1 माह	22.5 %
		द्वितीय किश्त	4 माह	22.5 %
		तृतीय किश्त	7 माह	22.5 %
		चतुर्थ किश्त	10 माह	22.5 %
2.	बहुमंजिले आवास	प्रथम किश्त	1 माह	15.0 %
		द्वितीय किश्त	4 माह	15.0 %
		तृतीय किश्त	7 माह	15.0 %
		चतुर्थ किश्त	10 माह	15.0 %
		पंचम किश्त	13 माह	10.0 %
		षष्ठम् किश्त	16 माह	10.0 %
		सप्तम् किश्त	19 माह	10.0 %

16. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः आवासों का आवंटन आवेदकों के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किश्तें जमा होने पर ही किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में आवासों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम अथवा द्वितीय किश्त जमा होने के पश्चात् भी आवासों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा। आवंटनी द्वारा निर्धारित मांग राशि जमा कराने पर भवन निर्माण के समय आवंटनी को देख-रेख योजना के अन्तर्गत आवास के अवलोकन का अधिकार होगा।
17. इस योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण कार्य "डिपोजिट कार्य" की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

- (अ) आवेदकों को तालिका-4 के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किशतों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किशत की राशि पर आवेदक द्वारा 6 माह तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा। इसके पश्चात आवेदक का आरक्षण/आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- (ब) तालिका-4 के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किशतें आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आवेदक के उल्लेखित पूर्व मूल पंजीकरण को भी निरस्त कर दिया जायेगा।
18. इस स्ववित्त पोषित योजना में पंजीकरण कराने वाले पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उनकी पूर्व पंजीकरण राशि पर, पंजीकरण कराने की तिथि से आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज देय होगा। पूर्व पंजीकृत आवेदक की पूर्व में जमा राशि का समायोजन (बिना ब्याज) देय प्रथम किशत में किया जायेगा तथा शेष राशि तालिका-4 के अनुसार आरक्षण पत्र में उल्लेखित तिथि तक जमा करानी होगी। जमा राशि पर ब्याज का समायोजन आवंटन पत्र में किया जायेगा।
19. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
20. रिफण्ड
- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई सफल आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आरक्षण राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किशतें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात् जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को सम्मिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।

(v) यदि स्ववित्त पोषित योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाला आवेदनकर्ता पूर्व पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में बिन्दु संख्या (i), (ii), (iii) एवं (iv) के अनुसार कटौती की जावेगी तथा आवेदनकर्ता का पूर्व पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जावेगा।

(vi) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही सीमित होगी।

21. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे अहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिए प्रत्येक आवंटनी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेंसी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख-रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटनी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर-टेकिंग देने पर ही आवंटनी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।

22. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों/मण्डल की वेबसाइट के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

23. मण्डल निर्मित आवासों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निश्चित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

24. आवंटन लॉटरी में आवेदक को आवास के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् आवास का आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें आवास की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में आवास की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा आवास का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटौती करते हुये आवेदक की जमा, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

25. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित विविध खर्चे देय होंगे जिनका मकान के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:-

- (क) ए.एस.सी. चार्ज : यह राशि आवास की कुल लागत का 3 प्रतिशत की दर से वसूलनीय होगी।
- (ख) लीज राशि : यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
- (ग) सेवाकर : यह राशि आवंटन पत्र की कुल मांग राशि की 3.09 प्रतिशत की दर से वसूलनीय होगी।

(घ) विधिक शुल्क -मण्डल के आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न परिवादों के लिए मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय हेतु निम्न आय वर्गानुसार राशि वसूलनीय होगी :-

आदुसे कमजोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग- 'अ'	मध्यम आय वर्ग- 'ब'	उच्च आय वर्ग
200/-	300/-	500/- रुपये	1000/- रुपये	2000/- रुपये

अन्य खर्च :

- (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
 - (ii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल एवं अन्य विधिक संस्था द्वारा वसूलनीय कर यथा सर्विस टैक्स, सैस आदि भी समय-समय पर मांग अनुसार आवंटी को पृथक से जमा करवाने होंगे।
26. मण्डल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
 27. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर, सेवा कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
 28. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
 29. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :-
 1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
 30. मंडल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
 31. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
 32. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/ आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

33. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटन को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और कब्जा लेने के बाद में किसी आगामी स्तर पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
34. पंजीकरण की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात् संख्या, दिनांक तथा संबंधित बैंक जिससे बैंकर चैक/ड्राफ्ट प्राप्त किया गया है, चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जावे। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक "राजस्थान आवासन मण्डल" के पक्ष में कोटा में देय होना आवश्यक है। आवेदन-पत्र, संलग्न चालान, बैंक ड्राफ्ट तथा वांछित दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा/आवासीय अभियन्ता, खण्ड- कोटा के पते पर निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।
35. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित उप आवासन आयुक्त/सम्पदा प्रबन्धक/आवासीय अभियन्ता, वृत्त/खण्ड कोटा कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मंडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारावृत्ति के पश्चात् ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।
36. यदि आवेदक आवास आवंटन के पश्चात् मंडल को देय राशि के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करता है तो मंडल को कोई आपत्ति नहीं होगी।
37. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा- आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
38. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास/फ्लैट लेना चाहता है।

39. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उसके ऊपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतः आवेदन कर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थित में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें।
40. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
41. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- ii. दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- iii. आवेदन-पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वैतन प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।
- iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- v. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्थीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सेनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/औलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- vii. लॉटरी से जो भी आवास आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- viii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- ix. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- x. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद कोटा शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- xi. योजना में एक व्यक्ति का स्वतंत्र अथवा संयुक्त रूप से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा।
- xii. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- xiii. आवंटी से यह उम्मीद की जाती है कि उनको आवंटित फ्लैट/आवास में उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं को भली-भाँति देख ले। आवंटी द्वारा मण्डल से कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् फ्लैट/आवास में किसी कमी के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा।

- xv. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल के निम्नलिखित कार्यालय से रुपये 300/- नकद देकर व्यक्तिशः अथवा रुपये 350/- का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जो कि राजस्थान आवासन मण्डल (Rajasthan Housing Board) के पक्ष में कोटा स्थित किसी भी बैंक में देय हो, भेजकर डाक से प्राप्त किया जा सकता है।

शहर का नाम कार्यालय का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर

कोटा

- कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त कोटा (दूरभाष-0744-2500685)
- कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड कोटा (दूरभाष-0744-2500911)

आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in से download करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है।



AREA FOR FLATS (PER UNIT)
 BUILT UP AREA - 72.14
 BALCONY (SQM) - 4.27
 CORRIDOR & STAIRCASE - 15.50
 AREA PER FLAT - 92.91

SCHEDULE OF OPENING

TYPE	SIZE	SILL
1. D1	1.20X2.10	-
2. D2	1.00X2.10	-
3. D3	0.90X2.10	-
4. D4	0.75X2.10	-
5. D5	1.00X2.70	-
6. DW	1.80X2.70	-
7. W1	1.20X1.90	0.80
8. W2	1.10X1.90	0.80
9. W3	0.90X1.90	0.80
10. V	0.60X0.60	1.50

NOTE:-

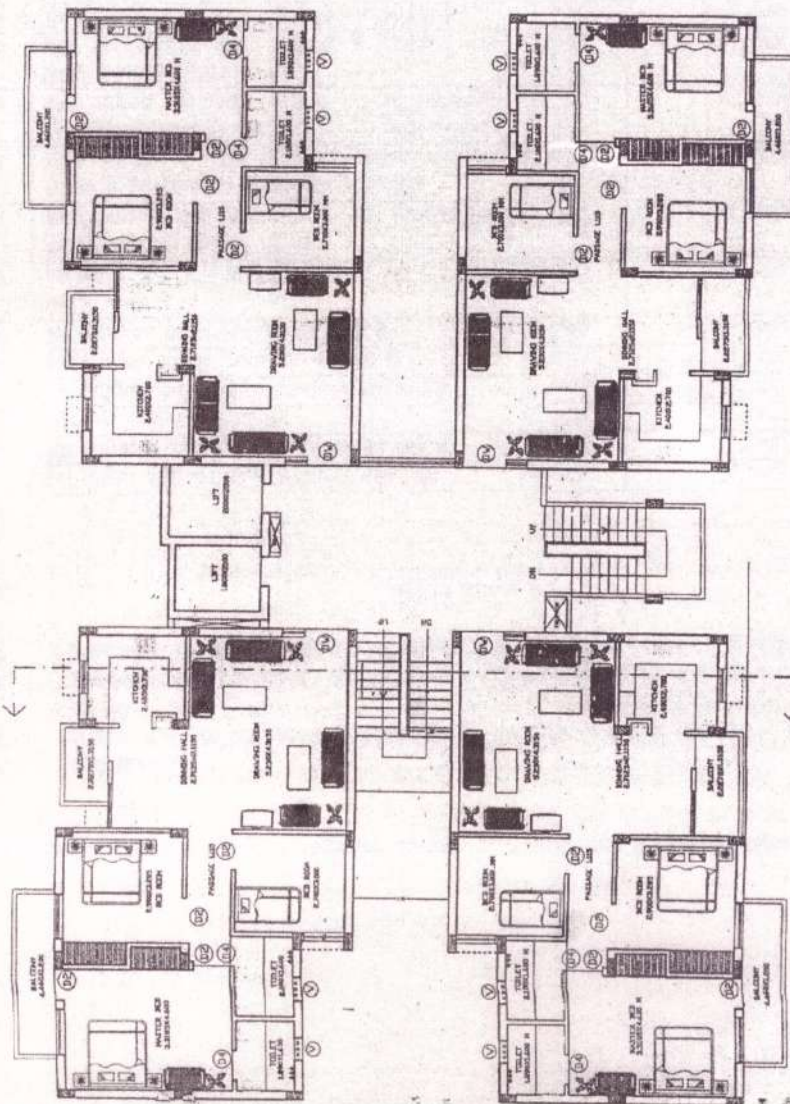
SLAB THICKNESS BEAM AND COLUMN AS PER DESIGN.
 APPROVED 131 P.C. MEETING HELD ON 9-2-2012 (AGENDA NO. 24)

ANY DISCREPANCY SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE PLANNING DEPARTMENT

TYPE DESIGN OF M.I.G.-II FLATS

TYPE DESIGN	TYPICAL FLOOR PLAN
DES. NO.	MDH/2011/ENR/000000
DATE	28-2-2011
DESIGNED BY	VERMA
CHECKED BY	M.L. BAL
APPROVED BY	(KAILASH NARAIN) ASSISTANT ARCHITECT
APPROVED BY	(ARUN DHATUVEDI) CHIEF TOWN PLANNER

RAJASTHAN HOUSING BOARD



TYPICAL FLOOR PLAN (MIG-II S+6)

आवेदक द्वारा भरा जावे

राजस्थान आवासन मण्डल

आवेदन पत्र परीक्षण सूची

“स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2014”

सेक्टर-3 कुन्हाडी (शहर) कोटा में
मध्यम आय वर्ग (ब) आय वर्ग के आवासों हेतु

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु
1	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हाँ/नहीं
2	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो यथास्थान चिपकाया है?	हाँ/नहीं
3	क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)?	हाँ/नहीं
4	क्या आवेदक के पते के प्रमाण-स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)?	हाँ/नहीं
5	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हाँ/नहीं
6	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हाँ/नहीं
7	क्या आय वर्ग प्रमाण-पत्र संलग्न किया है?	हाँ/नहीं
8	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हाँ/नहीं
9	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण-पत्र संलग्न है?	हाँ/नहीं
10	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हाँ/नहीं
11	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हाँ/नहीं
12	क्या वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हाँ/नहीं

हस्ताक्षर आवेदक

कार्यालय उपयोग हेतु

- आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
- आवेदक का ग्रुप है - जी-1/जी-2/ जी-3/ जी-4/ जी-5/ जी-6/ जी-7/ जी-8/ जी-9/ जी-10
- आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
- अन्य टिप्पणी

क.सहायक/ सहायक

कार्यालय अधीक्षक

स.आवासन अधिकारी/ सम्पदा प्रबन्धक

आवेदक द्वारा भरा जावे

राजस्थान आवासन मण्डल

पंजीकरण हेतु परीक्षण सूची

1.	कमांक नं./ लोट नम्बर		
2.	आवेदन पत्र कमांक		
3.	आवेदक का नाम		
4.	आवेदक के पिता/ पति का नाम		
5.	जन्म तिथि		
6.	आवेदक की पहचान का प्रमाण	पैनकार्ड नम्बर	
		पासपोर्ट नम्बर	
		ड्राइविंग लाइसेन्स नम्बर	
		वोटर आईडी कार्ड नम्बर	
7.	स्थायी पत्र व्यवहार का पता		
	दूरभाष नं. व मोबाइल नम्बर		
8.	अस्थायी पत्र व्यवहार का पता		
9.	आय का विवरण	स्वयं की आय	
		पत्नी / पति की आय	
		आश्रित की आय	
		कुल आय	
10.	आवेदक यदि पूर्व में पंजीकृत है तो उसका विवरण।	पंजीकरण वर्ष	
		श्रेणी व भुगतान पद्धति	
		वरीयता कमांक	
11.	श्रेणी	उच्च आय वर्ग (बहुमंजिले)	
12.	भुगतान पद्धति	नकद/ मासिक किस्तों में / स्ववित्त पोषित।	
13.	वर्ग (G-1 G-10)		
14.	स्थायी बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम, जहाँ पर पंजीकरण राशि असफल होने की स्थिति में वापिस लौटाई जा सके।		
15.	पंजीकरण राशि	रु.	
16.	बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम		
17.	उत्तराधिकारी का नाम व विवरण		

हस्ताक्षर आवेदक



- इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- आवेदन पत्र आवेदक ने आवेदक के अथवा अवैतनिक अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वतन प्रमाणपत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जाएगा।
- अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु संक्षेप अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- "आरक्षित श्रेणियाँ अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक / सांसद / अधिवक्ता/पुनर्वासित/स्वतन्त्रता सेनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक / एशियाड / ओलंपिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शेष पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधू में से हो किया जा सकता है।
- लॉटरी में जो भी आवेदन आवेदन होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जाएगा, परन्तु नकद भुगतान पद्धति पर आवेदन/विकृत आवेदन आवेदकों की आपसी सहमति पर किये जाने की स्वीकृति मण्डल द्वारा प्रदान की जायेगी, जिसके लिए आवेदक के विकृत मूल्य की 1 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क मण्डल में ही जमा कराना होगा।
- इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकते।
- आवेदन आवेदन/कब्जे के बाद आवेदक को रसद-रखवा स्वयं आवेदक द्वारा किया जाएगा।
- योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद कोर्ट/शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होगा।
- योजना में एक व्यक्ति को स्वतंत्र अथवा संयुक्त रूप से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा।
- आवेदन मण्डल की योजना में राजस्थान आवेदन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

महत्वपूर्ण बिन्दु



राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल की कुन्हाड़ी आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग (ब) के
बहुमंजिला (स्टिक्ट+6) आवासों हेतु

स्ववित्त पोषित योजना, वर्ष 2014

पंजीकरण दिनांक 15-10-2014 से 14-11-2014 तक



दिनांक 15-10-2014
से 14-11-2014 तक



माननीया मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

“मण्डल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना”



राजस्थान आवासन मण्डल

‘आवास भवन’, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
फोन : 0141-2740812, 2740112, 2740614
E-mail : rhbjpr@dataone.in
website : www.rhbonline.rajasthan.gov.in

मूल्य : 300/-

Printed@Nidhi, Kota Jn.#9460813430